सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 312 राँची, मंगलवार, 9 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

आदेश

9 जून, 2026

संख्या-09/आरोप-जमशेदपुर-97/2016 - 1592 (09)--भ्र0नि0ब्यूरो, जमशेदपुर थाना काण्ड सं0-04/16, दिनांक-18.09.2016 में दिनांक-19.09.2016 को श्री राजकुमार राम, अस्थायी लिपिक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत को भ्र0नि0ब्यूरो, चाईबासा द्वारा रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम को विभागीय आदेश सं0-5555, दिनांक-17.10.2016 द्वारा निलंबित किया गया। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-2233, दिनांक-13.12.2016 द्वारा श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र प्राप्त हुआ। विभागीय आदेश ज्ञापांक-428, दिनांक- 25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया ।

विभागीय आदेश सं0-1385, दिनांक-17.03.2017 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया। श्री राम दिनांक-31.03.2025 को सेवानिवृत हो चुके है ।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-2192, दिनांक-06.11.2025 के माध्यम से अपर उपायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोप को प्रमाणित पाया गया ।

प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री रामकुमार राम, अस्थायी लिपिक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत को सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित करते हुए पेंशन नियमावली 43 (ख) के तहत उनके पेंशन की राशि से अगले तीन वर्षों तक 5% (पाँच) कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

उक्त आदेश भ्र0नि0 ब्यूरो, जमशेदपुर निगरानी थाना काण्ड सं0-04/16 के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा ।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 312 - 50